आमने-सामने

चयन बनाम नैतिकता

मीनू पांडे

हर समाज में यौनिकता के बारे में एक नैतिक दृष्टिकोण बनाया जाता है जो यौनिकता के कायदे निर्धारित करता है। लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि यह नैतिकता कौन निर्धारित करता है और इसका पूरे समाज पर क्या असर होता है? क्या कुछ लोगों द्वारा निर्धारित किए गए यौनिक कायदे क्या पूरे समाज पर लागू करना ठीक है? नैतिकता को बरकरार रखने में क्या कुछ लोगों के अधिकारों से मुंह फेर लेना ठीक है? इस पूरे विवाद में व्यक्तिगत चयन की जगह कहां है?

दो दशकों में यौनिकता के अधिकारों और अनेक यौनिक चयन को आदरपूर्वक स्थान दिलाने की आवाजें, यौनिकता अधिकार पर कार्यरत समूह उठा रहे हैं। साथ ही यौनिकता के मुद्दे पर सामाजिक और राजनैतिक नैतिकता बहुत कठोर और रूढ़िवादी हुई है। राजनैतिक और धार्मिक गुटों को लगता है कि नैतिकता पर उनकी समझ समस्त देशवासियों पर लागू होनी चाहिए। जब उन्हें लगता है कि उनकी नैतिकता खतरे में है, वे धावा बोल देते हैं। भारतीय संस्कृति की अपनी समझ को बरकरार रखने के लिए यह गुट हिंसा से नहीं कतराते। निम्न उदाहरण कुछ ऐसी घटनाओं पर ध्यान ले जाते हैं जो यौनिकता पर नैतिकता के बढ़ते असर को उजागर करते हैं।

उदाहरण 1: फरवरी 2009 में मैंगलोर के एक क्लब में श्रीरामसेने के आदमियों ने घुसकर, क्लब में मौजूद औरतों को पीटा। श्रीरामसेने, का मानना है कि क्लब में मौजूद औरतें पश्चिमी कपड़े पहन कर और मर्दों के साथ शराब पीकर, भारतीय संस्कृति को भ्रष्ट कर रही थीं।

उदाहरण 2: जून 2009 में हरियाणा के एक गांव से बबली और मनोज का कत्ल किया गया। जिस 'पाप' के लिए उन्हें मौत की सज़ा दी गई थी, वह यह था कि बबली के परिवार की इच्छा के बिना इन दोनों ने शादी कर ली थी। बबली के परिवार वाले इन दोनों के एक गोत्र का होने की वजह से, रिश्ते की मंजूरी नहीं दे रहे थे। पंचायत ने इनकी शादी को अवैध घोषित किया। यह हत्या परिवार और गांव की 'इज़्ज़त' बचाने के लिए की गई थी।

उदाहरण 3: जून 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड विधान की धारा 377 को असंवैधानिक करार देते हुए समलैंगिकता को गैर-आपराधिक ठहराया। यह ऐतिहासिक फैसला सम्मान, गोपनीयता, समानता और भेदभाव से मुक्ति की नींव पर खड़ा है। इस फैसले के आते ही कई रूढ़िवादी दलों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं कि इस फैसले पर रोक लगाई जाए। इनका तर्क है कि समलैंगिकता शादी जैसे सामाजिक बंधन को तोड़ देगी, यह भारतीय संस्कृति के ख़िलाफ़ है कि यह एक पश्चिमी प्रभाव है।

उदाहरण 4: कोलकाता के पास के एक छोटे कस्बे में दो औरतों ने एक-साथ खुदकुशी कर ली। दोनों औरतें एक दूसरे के साथ रिश्ते में थीं। इनमें से एक औरत की उसके परिवार ने ज़बरदस्ती शादी भी करवा दी थी। एक दूसरे से अलग हो जाने के डर और सामाजिक दबाव के कारण हताश होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। इनके मृतक शरीर अस्पताल में ही पड़े रहे। इनके परिवारों ने इनका दाह-संस्कार ना करना बेहतर समझा।

ये हमारे देश में मौजूद माहौल को दर्शाते हैं। ऐसा लगता है कि यौनिक चयन में इतनी ताकत है कि यह परिवारों और समाज की नैतिकता को बड़ा धक्का पहुंचा सकते हैं। इस चयन की सीमा हमारे आज के आधुनिक समाज में भी सीमित ही है।

यौनिक अधिकारों को पहचान देने के लिए काम तो चल रहा है। इन आवाज़ों को और मज़बूत बनाना बहुत ज़रूरी है। यह आवाज़ें तब और मज़बूत हो पाएंगी जब बाकी अधिकारों पर कार्य करने वालों और नागरिक समाज की आवाज़ें इनके साथ जुड़ेंगी।